रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

CENTRAL S... LIBRARY 3/1/03

सं. 501] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 31, 2002/ज्येष्ठ 10, 1924
No. 501] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 31, 2002/JYAISTHA 10, 1924

गृह मंत्रालय

(एन. ई. डिवीजन)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 2002

का.आ. 583(अ).—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल देव सिंह,

न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली की अध्यक्षता में

विधि विरुद्ध कार्यकलाप (निवारण) अधिकरण

मणिपुर के निम्नलिखित मैतई उग्रवादी संगठनों, अर्थात :—

1. पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जिसे आमतौर पर पी.एल.ए. के नाम से जाना जाता है और इसके राजनैतिक अंग, दि रेवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रन्ट (आर.पी.एफ.);
2. यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रन्ट (यू.एन.एल.एफ.);
3. पीपल्स रेवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलेपाक (पी.आर.इ.पी.ए.के.) और इसके सशस्त्र अंग, "रेड आर्मी";
4. कांगलेपाक कम्यूनिस्ट पार्टी (के.सी.पी.) और इसके सशस्त्र अंग जिन्हें "रेड आर्मी" भी कहा जाता है;
5. कांग्ले याओल कानबा लुप (के.वाई.के.एल.); और
6. मणीपुर पीपल्स लिबरेशन फ्रन्ट (एम.पी.एल.एफ.)

को विधि विरुद्ध कार्यकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत विधि विरुद्ध संगम घोषित किए जाने के मामले में,

और

विधि विरुद्ध कार्यकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 4(1) के अंतर्गत संदर्भ के मामले में।

आदेश

13 नवम्बर, 2001 को भारत सरकार, गृह मंत्रालय ने विधि विरुद्ध कार्यकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (संक्षिप्त में 'अधिनियम') की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना सं. का.आ. 1124(अ) जारी की जिसके तहत केन्द्र सरकार ने मैतई उग्रवादी संगठनों, अर्थात् पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जिसे आमतौर पर पी.एल.ए. के नाम से जाना जाता है तथा इसके

राजनैतिक अंग, रेवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रन्ट (आर0पी0एफ0), यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रन्ट (यू0एन0 एल0एफ0), पीपल्स रेवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलेपाक (पी0आर0ई0पी0ए0के0) और इसके सशस्त्र अंग 'रेड आर्मी', कांगलेपाक कम्यूनिस्ट पार्टी (के0सी0पी0) और इसके सशस्त्र अंग जिसे "रेड आर्मी" भी कहा जाता है, कांग्लेयाओल कानबा लुप (के0वाई0के0एल0) और मणिपुर पीपल्स लिबरेशन फ्रन्ट (एम0पी0एल0 एफ0) को विधिविरुद्ध संगम घोषित किया था । अधिसूचना का पाठ निम्न प्रकार है:-

"गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2001

का0आ0 1124(अ). - यतः पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जिसे आमतौर पर पी0एल0ए0 के नाम से जाना जाता है, और इसके राजनीतिक अंग, रेवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रन्ट (आर0पी0एफ0), यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रन्ट (यू0एन0एल0एफ0), पीपल्स रेवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलेपाक (पी0आर0ई0पी0ए0के0) और इसके सशस्त्र अंग "रेड आर्मी", कांग्लेपाक कम्यूनिस्ट पार्टी (के0सी0पी0) और इसके सशस्त्र अंग जिन्हें "रेड आर्मी" भी कहा जाता है, कांग्लेयाओल कानबा लुप (के0वाई0के0एल0) और मणिपुर पीपल्स लिबरेशन फ्रन्ट (एम0पी0एल0एफ0) (जिन्हें यहां इसके बाद सामूहिक रूप से मैतेई उग्रवादी संगठन कहा गया है):

(i) भारत से मणिपुर राज्य को अलग करके स्वतंत्र मणिपुर बनाने के अपने लक्ष्य की खुले तौर पर घोषणा कर चुके हैं;

(ii) अपने उपर्युक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सशस्त्र साधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं;

(iii) मणिपुर में सुरक्षा बलों, पुलिस, सरकारी कर्मचारियों और कानून का पालन करने वाले नागरिकों पर हमले कर रहे हैं;

(iv) अपने संगठन के लिए धन एकत्र करने के लिए सिविलियन जनता को डराने-धमकाने, जबरन धन ऐंठने और लूटपाट के कार्य करते रहे हैं; और

(v) अपने अलगाववादी उद्देश्य को प्राप्त करने के प्रयोजन से हथियारों और प्रशिक्षण के जरिए सहायता प्राप्त करके और जनमत को प्रभावित करने के लिए विदेशी स्रोतों से संपर्क स्थापित करने के प्रयास करते रहे हैं;

2. और यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उपर्युक्त कारणों से मैतेई उग्रवादी संगठन और उनके द्वारा स्थापित अन्य निकाय जिनमें ऊपर उल्लिखित सशस्त्र समूह भी शामिल हैं, विधिविरुद्ध संगठन हैं ।

3. यतः अब, विधि विरुद्ध कार्यकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार मैतेई उग्रवादी संगठनों अर्थात् पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जिसे आमतौर पर पी0एल0ए0 के नाम से जाना जाता है और इसके राजनीतिक अंग, रेवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रन्ट, (आर0पी0एफ0), यूनाईटेड नेशनल लिबरेशन फ्रन्ट (यू0एन0एल0एफ0), पीपल्स रेवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांग्लेपाक (पी0आर0ई0पी0ए0के0) और इसके सशस्त्र अंग, "रेड आर्मी", कांग्लेपाक कम्यूनिस्ट पार्टी (के0सी0पी0) और इसके सशस्त्र अंग जिन्हें "रेड आर्मी" कहा जाता है, कांग्ले याओल लुप (के0वाई0के0ल0) और मणिपुर पीपल्स लिबरेशन फ्रन्ट (एम0पी0एल0एफ0) को गैर-कानूनी संगठन घोषित करती है ।

4. और यतः-

(i) मैतेई उग्रवादी संगठनों के सशस्त्र समूहों और सदस्यों द्वारा सुरक्षा बलों और सिविलियन जनता पर बार-बार लगातार हिंसात्मक और आक्रामक कार्रवाईयां जारी हैं;

(ii) मैतेई उग्रवादी संगठनों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(iii) धन संग्रह/धन ऐंठने और अत्याधुनिक हथियारों को प्राप्त करना जारी है;

(iv) शरणस्थल, प्रशिक्षण और चोरी छिपे हथियार और गोला बारूद प्राप्त करने हेतु पड़ौसी देशों में शिविर बरकरार रखे जा रहे हैं ।

5. और यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि मैतेई उग्रवादी संगठनों की उक्त गतिविधियां भारत की संप्रभुता और अखण्डता के प्रति अहितकर हैं और यदि उन पर तुरंत अंकुश और नियंत्रण नहीं लगाया गया तो उक्त मैतेई उग्रवादी संगठन पुनः संगठित हो जाएंगे और हथियारों से लैस हो जाएंगे, अपने संवर्गों का विस्तार कर लेंगे, अत्याधुनिक हथियारों की प्राप्ति कर लेंगे, सिविलियनों और सुरक्षा बलों के जीवन को भारी क्षति पहुंचाएंगे और मणिपुर को भारत से अलग करने की अपनी गतिविधियां तेज कर देंगे ।

6. अतः, अब, पैरा 4 और 5 में उल्लिखित परिस्थितियों के संदर्भ में केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि मैतेई उग्रवादी संगठनों अर्थात् पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जिसे आमतौर पर पी0एल0ए0 के नाम से जाना जाता है और इसके राजनीतिक अंग रिवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट (आर0पी0एफ0), यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यू0एन0एल0एफ0), पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलेपाक (पी0आर0ई0पी0ए0के0) और इसके सशस्त्र अंग "रेड आर्मी", कांगलेपाक कम्यूनिस्ट पार्टी (के0सी0पी0) और इसके सशस्त्र अंग जिन्हें भी "रेड

आर्मी" कहा जाता है, कांग्ले याओल कानबा लुप (के0वाई0के0एल0) और मणिपुर पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट (एम0पी0एल0एफ0) को तत्काल प्रभाव से गैर-कानूनी घोषित किया जाना अनिवार्य है, और तदनुसार, उक्त धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि यह अधिसूचना उक्त अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत किए जाने वाले किसी आदेश के अध्यधीन, सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी ।

[फा0 सं0 8/22/2001-एन0ई0-I]
सुरेन्द्र कुमार, संयुक्त सचिव

उपरोक्त अधिसूचना के बाद भारत सरकार ने इस अधिकरण के गठन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के तहत दिनांक 6 दिसम्बर, 2001 को एक अन्य अधिसूचना सं0 का0आ0 1196(अ) जारी की थी ताकि यह अधिकरण इस बात का न्यायनिर्णय कर सके कि क्या मणिपुर के मैतई उग्रवादी संगठनों को विधि विरुद्ध संगम घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण हैं या नहीं । उक्त अधिसूचना का पाठ निम्नानुसार है:-

"गृह मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 6 दिसम्बर, 2001

का0आ0 1196 (अ) - विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार यह निर्धारित करने के लिए कि क्या मणिपुर के मैतई उग्रवादी संगठनों को विधि विरुद्ध संगम घोषित करने के पर्याप्त कारण हैं अथवा नहीं, एतद्द्वारा, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री ए0डी0 सिंह की अध्यक्षता में एक 'विधि विरुद्ध कार्यकलाप (निवारण) अधिकरण' का गठन करती है ।

[फा0 सं0 8/22/2001-एन0ई0-I]
सुरेन्द्र कुमार, संयुक्त सचिव"

अधिसूचना, मामले का ब्यौरा और अन्य दस्तावेजों के प्राप्त होने पर मामले को 18 दिसम्बर, 2001 को अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और उस समय इस मामले को दिनांक 19 दिसम्बर, 2001 को

अपराह्न 2:30 बजे प्राथमिक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए जाने का निदेश दिया गया था । 19 दिसम्बर, 2001 को यह निदेश दिया गया था कि उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के तहत और उसकी शर्तानुसार मणिपुर के मैतई उग्रवादी संगठनों को नोटिस जारी करके इस नोटिस के जारी किए जाने की तारीख से 30 दिनों के अंदर लिखित में कारण बताने के लिए कहा जाए । आदेश का पाठ निम्नानुसार है:-

"मणिपुर के मैतई उग्रवादी संगठनों अर्थात् पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पी0एल0ए0)और इसके राजनीतिक अंग रिवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट (आर0पी0एफ0), यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यू0एन0एल0एफ0), पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलेपाक (पी0आर0ई0पी0ए0के0) और इसके सशस्त्र अंग "रेड आर्मी", कांगलेपाक कम्यूनिस्ट पार्टी (के0सी0पी0) और इसके सशस्त्र अंग जिन्हें "रेड आर्मी" भी कहा जाता है, कांग्ले याओल कानबा लुप (के0वाई0के0एल0) और मणिपुर पीपल्स लिबरेशन फ्रंट (एम0पी0एल0एफ0) को विधि विरुद्ध कार्यकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967, जिसे इसके बाद अधिनियम कहा गया है, की धारा 4 की उपधारा (2) के तहत और उसकी शर्तानुसार नोटिस जारी करके कहा जाए कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर लिखित में कारण बताएं ।

नोटिसें उसी ढंग से जारी की जाएंगी जिस ढंग से केन्द्र सरकार ने मणिपुर में राष्ट्रीय दैनिक एवं स्थानीय समाचार पत्रों में अधिसूचना को परिचालित एवं प्रकाशित करके तथा रेडियो और दूरदर्शन पर प्रसारित करवाकर जारी किया था । जिला मुख्यालयों अथवा तहसील मुख्यालयों, जहां भी संभव हो, में प्रत्येक जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार के कार्यालयों के नोटिस बोर्डों पर नोटिसें लगाकर भी उन्हें जारी किया जाना चाहिए ।

नोटिसों को उपरोक्त मैतई उग्रवादी संगठनों के कार्यालयों को, उन स्थानों जहां मणिपुर राज्य में या उसके बाहर उनके कार्यालय, यदि कोई हों, में परिचालित किए जाने वाले दैनिक समाचारपत्रों में प्रकाशित कराकर भी जारी किया जाना चाहिए ।

नोटिस देने के लिए उन्हें प्रकाशित कराने, लगाने और प्रसारित कराने के लिए आज से दो सप्ताह के भीतर आवश्यक कार्रवाई पूरी कर ली जाए । उसके पश्चात् दो सप्ताह के भीतर इस अधिकरण के रजिस्ट्रार के कार्यालय में सर्विस रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए जो नोटिस देने वाले संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के हलफनामों द्वारा विधिवत समर्थित हो ।

इसी बीच केन्द्र सरकार और मणिपुर राज्य सरकार को प्रासंगिक दस्तावेज और अपने पास रखी दूसरी विश्वसनीय सामग्री प्रस्तुत करनी चाहिए । हलफनामों और समर्थक दस्तावेजों के रूप में साक्ष्य को दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाए ।

साधारणतः अधिकरण की बैठकें नई दिल्ली में होंगी परन्तु आवश्यकता अनुसार यह बैठकें मणिपुर राज्य या किसी दूसरे स्थान पर भी हो सकती हैं ।

अगली सुनवाई 13 फरवरी, 2002 को अपराह्न 4.15 बजे समिति कक्ष सं0 243, द्वितीय तल, ए ब्लाक, दिल्ली उच्च न्यायालय, शेरशाह सूरी मार्ग, नई दिल्ली-110003 में होगी ।"

19 दिसम्बर, 2001 के आदेश के अनुसरण में श्री राम फल, अवर सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा भारत सरकार की ओर से 11 फरवरी, 2002 को एक हलफनामा दायर करके आदेश की अनुपालना की पुष्टि कर दी गई । इसी प्रकार का एक हलफनामा श्री के0एन0 नेत्र, संयुक्त सचिव (गृह), मणिपुर सरकार, इम्फाल ने भी मणिपुर राज्य की ओर से 8 फरवरी, 2002 को प्रस्तुत कर दिया था । अधिकरण ने इन हलफनामों के आधार पर 13 फरवरी, 2002 को निम्नलिखित आदेश पारित किया था -

"इस अधिकरण ने 19 दिसम्बर, 2001 को यह निदेश दिया था कि विधि विरुद्ध कार्यकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 4 की उपधारा (2) के तहत औरउसकी शर्तानुसार मणिपुर के मैतई उग्रवादी संगठनों को नोटिस जारी करके इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 30 दिनों के अंदर लिखित में कारण बताने के लिए कहा जाए ।

19 दिसम्बर, 2001 के आदेश के अनुसरण में और उसकी अनुपालना में श्री राम फल, अवर सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा 11 फरवरी, 2002 को एक हलफनामा प्रस्तुत कर दिया गया था । हलफनामे के अनुसार केन्द्र सरकार ने मणिपुर राज्य के मुख्य सचिव को नोटिसें अग्रेषित कर दी थीं ताकि वह अधिकरण के 19 दिसम्बर, 2001 के आदेशों के अनुसरण में आवश्यक कार्रवाई कर सकें । यह भी उल्लेखनीय है कि मणिपुर राज्य सरकार ने नोटिसें जारी करने के लिए निम्नलिखित कारवाई की :-

(i) स्थानीय समाचारपत्रों अर्थात् पोकनाफम में दिनांक 2 फरवरी, 2002 को और शनाई एक्सप्रेस में 3 फरवरी, 2002 को नोटिसें प्रकाशित की गईं थीं (अनुलग्नक-I और II) ।

(ii) मणिपुर राज्य सरकार ने पुलिस महानिदेशक (मणिपुर), उपायुक्त (सेनोपति), पुलिस अधीक्षक (चंदेल, उखरूल, थाउबला एवं तामेंगलांग) को निदेश दिया था कि वे मैतई उग्रवादी संगठनों को नोटिसें जारी कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। ये रिपोर्टें अनुलग्नक-III से VIII में दी गई हैं ।

हलफनामे के साथ उपरोक्त समाचार पत्रों की कतरनों की वे प्रतियां भी दी गई है जिनमें अपेक्षित नोटिसें छपी हैं । हलफनामे के साथ नोटिसें दिए जाने संबंधी रिपोर्टें भी प्रस्तुत की गई हैं ।

मणिपुर राज्य की ओर से संयुक्त सचिव (गृह), मणिपुर राज्य सरकार, इम्फाल द्वारा भी 8 फरवरी, 2002 को एक हलफनामा प्रस्तुत कर दिया गया था जिसके पैरा संख्या 3,4 और 5 का पाठ निम्नानुसार है:-

"3. कि मणिपुर राज्य सरकार के मुख्य सचिव के कार्यालय में अवर सचिव, भारत सरकार का दिनांक 21 दिसम्बर, 2001 का पत्र सं0 8/22/2001-एन0ई0-I प्राप्त हुआ था । उक्त पत्र के प्राप्त होने पर मैंने अपनी सरकारी क्षमता में गृह मंत्रालय के 21.12.2001 के उपरोक्त पत्र को दिनांक 3 जनवरी, 2002 के पत्र संख्या 6/1(4)2001-8 के तहत (1) पुलिस महानिदेशक, मणिपुर (2) मणिपुर के सभी उपायुक्तों (जिला मजिस्ट्रेट) और (3) मणिपुर के सभी पुलिस अधीक्षकों को अग्रेषित कर दिया है ताकि वे 21.12.2001 के उपरोक्त पत्र के अनुदेशों के अनुसार नोटिसों को प्रसारित, प्रकाशित करकर और उन्हें लगाकर जारी कर सकें और मैंने उसके साथ उक्त पत्र की पर्याप्त संख्या में प्रतियां और वे नोटिसें भी भेज दी हैं जो अधिकरण के रजिस्ट्रार ने निम्नलिखित सभी मैतेई उग्रवादी संगठनों को जारी की थी: 1) पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पी0एल0ए0) और इसके राजनीतिक अंग रिवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट (आर0पी0एफ0), यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यू0एन0एल0एफ0), पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलेपाक (पी0आर0ई0पी0 ए0के0) और इसके सशस्त्र अंग "रेड आर्मी", कांगलेपाक कम्यूनिस्ट पार्टी (के0सी0पी0) और इसके सशस्त्र अंग जिन्हें भी "रेड आर्मी" कहा जाता है, कांग्ले याओल कानबा लुप (के0वाई0के0एल0) और मणिपुर पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट (एम0पी0एल0एफ0) ।

4. कि मणिपुर राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा दो स्थानीय समाचार पत्रों में नोटिसें प्रकाशित कराई गई थीं जो (1) पोकनाफाम में दिनांक 2 फरवरी, 2002 को और (2) शनाई एक्सप्रेस में 3 फरवरी, 2002 को प्रकाशित हुई थीं ।

5. कि उक्त अनुदेशों के अनुसरण में और अधिकरण के 19/12/2001 के आदेश की अनुपालना में मणिपुर राज्य सरकार ने उसके निदेशों का पालन किया था ।

श्री राम फल, अवर सचिव का उपरोक्त हलफनामा, जिसके साथ अनुलग्नक भी लगाए गए हैं, और मणिपुर राज्य सरकार, इम्फाल के संयुक्त सचिव (गृह) का हलफनामा यह दर्शाते हैं कि मैतेई उग्रवादी संगठनों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं ।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय के निदेशक श्री जतिन्दरबीर का 30 जनवरी, 2002 को अभिपुष्ट पहले का हलफनामा भी 8 फरवरी, 2002 को दायर कर दिया गया है । इस

हलफनामे के अनुसार भारत सरकार ने विधि विरुद्ध कार्यकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 3 की उपधारा (10) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 13 नवम्बर, 2001 को अधिसूचना संख्या का0आ0 1124(अ) जारी करके मैतई उग्रवादी संगठनों को विधि विरुद्ध संगम घोषित कर दिया था । हलफनामे में इस तथ्य का उल्लेख है कि केन्द्र सरकार ने उक्त धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह भी निदेश दिया है कि ये अधिसूचनाएं, उक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत, किए जाने वाले किसी आदेश के अध्यधीन सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगी । हलफनामे में यह भी उल्लेख है कि केन्द्र सरकार ने यह अधिसूचना मणिपुर राज्य सरकार के मुख्य सचिव को भी अग्रेषित कर दी थी ताकि वह अधिसूचना की तामील कराने के लिए आवश्यक कदम उठा सके और कि मणिपुर राज्य सरकार ने अधिसूचना की तामिल कराने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की:-

(क) यह अधिसूचना दिनांक 1 दिसम्बर, 2001 को 'कांगलीपाक मीरा' तथा दिनांक 14 नवम्बर, 2001 को 'सनालीबाक' नामक दो स्थानीय अखबारों में प्रकाशित की गई। अखबार की कतरनों की प्रतियां क्रमशः अनुलग्नक-I और II पर दी गई हैं ।

(ख) यह अधिसूचना मणिपुर सरकार ने भी अपने सरकारी राजपत्र में प्रकाशित की तथा डी0जी0पी0 (मणिपुर), मणिपुर के आई0जी0 (आसूचना) सभी जिला अधिकारियों, सूचना निदेशकों, जनसंपर्क, इंफाल के केन्द्र निदेशक (आकाशवाणी) और सभी पुलिस अधीक्षकों को इस अधिसूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिए निदेश दिया (अनुलग्नक-III) ।

(ग) सेनापति, तामेंगलांग और थाउबल के उपायुक्तों से कहा गया कि वे मैतई उग्रवादी संगठनों को विधि विरुद्ध संगम घोषित करने वाली अधिसूचना का व्यापक प्रचार करे। उनकी रिपोर्टें अनुलग्नक-IV से VI पर हैं ।

(घ) इंफाल पूर्व, थाउबल, इंफाल पश्चिम, बिष्णुपुर, चूडाचांदपुर और तामेंगलांग के पुलिस अधीक्षकों को मैतई उग्रवादी संगठनों को विधि विरुद्ध संगम घोषित करने वाली अधिसूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा गया । उनकी रिपोर्टें (इंफाल पश्चिम को छोड़कर) अनुलग्नक-VII से XI पर हैं ।

आगे की कार्रवाई 11 मार्च, 2002 को अपराह्न 4.15 बजे करने के लिए यह मामला सूचीबद्ध कर लिया गया ।

11 मार्च, 2002 को अधिकरण ने इस मामले की पुनः सुनवाई की । नोटिसें तामील कराए जाने के बावजूद कोई भी व्यक्ति मणिपुर के मैतेई उग्रवादी संगठनों की ओर से उपस्थित नहीं हुआ । तदनुसार उन पर

एक पक्षीय कार्रवाई की गई । उसी आदेश के द्वारा केन्द्रीय सरकार तथा मणिपुर राज्य को एकपक्षीय साक्ष्य के रूप हलफनामा फाइल करने तथा अपने पक्ष के समर्थन में संगत दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया । आदेश निम्नवत है :-

"मैतई उग्रवादी संगठन, मणिपुर की ओर से कोई भी व्यक्ति नहीं आया । तदनुसार उन पर एक पक्षीय कार्रवाई की जाती है ।

भारत संघ तथा मणिपुर राज्य के वकील एक पक्षीय साक्ष्य के रूप में तीन सप्ताह के अंदर हलफनामा प्रस्तुत करें तथा अपने मत के समर्थन में संगत दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत करें ।

मणिपुर राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने पावर ऑफ अटार्नी फाइल कर दी है । इसे रिकार्ड पर ले लिया जाए ।

इस मामले की अगली कार्रवाई 4 अप्रैल, 2002 को अपराह्न 4.15 बजे करने के लिए सूचीबद्ध कर लिया जाए ।

दिनांक 11 मार्च, 2002 के प्रत्युत्तर में केन्द्रीय सरकार तथा मणिपुर राज्य ने 4 अप्रैल, 2002 को एक पक्षीय हलाफनामे प्रस्तुत कर दिए । हालांकि हलफनामे के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों की अनुक्रमणिका प्रस्तुत नहीं की गयी तथा केन्द्र सरकार एवं मणिपुर राज्य को दस्तावेजों की अनुक्रमणिका प्रस्तुत करने के निदेश दिए गए । दिनांक 4 अप्रैल, 2002 के आदेश निम्नवत हैं:-

"भारत संघ तथा मणिपुर राज्य की ओर से एक पक्षीय साक्ष्य के रूप में हलफनामे प्रस्तुत किए गए हैं। मणिपुर राज्य के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि हलफनामे के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों की अनुक्रमणिका एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

इस मामले पर आगे की कार्रवाई दिनांक 11 अप्रैल, 2002 को अपराह्न 4.15 बजे करने के लिए सूचीबद्ध कर लिया जाए ।"

जब यह मामला सुनवाई के लिए दिनांक 11 अप्रैल, 2002 को आया तो मणिपुर के विद्वान अधिवक्ता ने दस्तावेजों की अनुक्रमणिका प्रस्तुत करने के लिए और समय मांगा । उनका अनुरोध स्वीकार करते हुए यह

मामला 15 अप्रैल, 2002 को सुनवाई के लिए आस्थगित कर दिया गया । दिनांक 15 अप्रैल, 2002 को भी मणिपुर राज्य दस्तावेजों की अनुक्रमणिका प्रस्तुत नहीं कर सका । तथापि यह बताया गया कि दस्तावेजों की अनुक्रमणिका दो दिन के अंदर प्रस्तुत कर दी जाएगी । भारत सरकार तथा मणिपुर राज्य को एक पक्षीय साक्ष्य के रूप में अन्य हलफनामे प्रस्तुत करने की अनुमति दी गयी । 15 अप्रैल, 2002 का आदेश निम्नवत है -

"मणिपुर राज्य का केस लड़ने वाले विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि दस्तावेजों की अनुक्रमणिका दो दिनों के अंदर प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

भारत सरकार तथा मणिपुर राज्य के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उन्होंने अपने-अपने मामलों के समर्थन में एक पक्षीय साक्ष्य के दस्तावेज पहले ही प्रस्तुत कर दिए हैं । भारत सरकार तथा मणिपुर राज्य अगर एक पक्षीय साक्ष्य के रूप में कोई अतिरिक्त हलफनामा प्रस्तुत करना चाहता है तो, उसे अगले दिन से पहले प्रस्तुत कर दिया जाए । मणिपुर राज्य तथा भारत सरकार को गवाह अगली तारीख को प्रस्तुत करने तथा उनका परीक्षण करने की छूट दी जाए ।

यह मामला 30 अप्रैल, 2002 को अपराह्न 3.00 बजे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर लिया जाए ।"

30 अप्रैल, 2002 को केन्द्रीय सरकार तथा मणिपुर राज्य की आंशिक सुनवाई की गयी । अगली बहस के लिए इस मामले की तारीख 6 मई, 2002 निर्धारित की गई । 30 अप्रैल, 2002 का आदेश निम्नलिखित है:-

"मणिपुर राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने दस्तावेजों की सूची प्रस्तुत कर दी है । मैतेई उग्रवादी संगठन की ओर से सुनवाई में कोई नहीं आया । मणिपुर राज्य तथा भारतीय संघ के तर्कों को एक पक्षीय रूप से सुना गया ।

6 मई, 2002 को अपराह्न 4.00 बजे का मसला देखें

मैतेई उग्रवादी संगठन यदि चाहे तो न्यायालय की अगले दिन की कार्रवाई में उपस्थित हो सकता है ।

दिनांक 6 मई, 2002 को केन्द्र सरकार और मणिपुर राज्य ने विवाद समाप्त कर दिया था । तथापि यह उल्लेख किया जा सकता है कि मैतेई अलगाववादी संगठनों ने इस कार्यवाही में भाग नहीं लिया था । उन्हें कानून के अनुसार नोटिस दिया गया था । केंन्द्र सरकार और मणिपुर राज्य ने अनुरोध किया कि इस आशय के पर्याप्त सबूत है तो इस तथ्य का समर्थन करते हैं कि मैतई अलगाववादी संगठनों की गतिविधियां गैर कानूनी हैं और इसलिए अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत इन्हें ठीक ही गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया है । तत्पश्चात् यह अनुरोध किया गया था कि केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिनांक 13 नवम्बर, 2001 की अधिसूचना की पुष्टि की जाए ।

सबसे पहले उन तथ्यों का उल्लेख करना उचित होगा जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 4 अप्रैल, 2002 को हलफनामे के जरिये दर्ज किया गया है । इसे "मैतेई अलगाववादी संगठनों को गैर कानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1967 के तहत गैर कानूनी संगठन घोषित करने के लिए पर्याप्त हलफनामा" शीर्षक के तहत दर्ज किया गया था । इस हलफनामे की श्री राम फल, अवर सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा पुष्टि की गई है । हलफनामे में यह बात कही गई है कि मणिपुर राज्य में मैतेई और आदिवासी लोग निवास करते हैं । जहां मैतेई लोग कुल जनसंख्या का 66% हैं और इंफाल घाटी में उनका बाहुल्य है, वहीं बाकी जनसंख्या नागा और कुकी सहित आदिवासियों की है जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं । यह घाटी मैतेई अलगाववादी विभिन्न संगठनों की उग्रवादी गतिविधियों से प्रभावित हैं । हलफनामे के अनुसार मैतेई अलगाववादियों के निम्नलिखित प्रमुख संगठन हैं:-

1. पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पी0एल0ए0)/रिवोल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट (आर0पी0एफ0);
2. यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यू0एन0एल0एफ0);
3. पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांग्लीपाक (पी0आर0ई0पी0ए0के0);
4. कांग्लीपाक कम्युनिस्ट पाटी (के0सी0पी0);
5. कांग्ली याओल कान्बा लुप (के0वाई0के0एल0); और
6. मणिपुर पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट (एम0पी0एल0एफ0) ।

पहाड़ी क्षेत्र, नागा अलगाववादियों की गतिविधियों से प्रभावित हैं । ये अलगाववादी नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (एन0एस0सी0एन0) और कुकी अलगाववादी संगठन हैं । ये पहाड़ी क्षेत्र, आदिवासी

जातीय संघर्षों से भी प्रभावित हैं । हलफनामे के अनुसार मैतेई अलगाववादी संगठन कई हिंसक घटनाओं के लिए जिम्मेदार है । इसके अतिरिक्त, वे सुरक्षा बलों पर हमला करने, बल पूर्वक धन ऐंठने, लोगों की हत्या करने, भारत से अलग होने का प्रचार करने, बैंकों को लूटने और धमकी आदि देने जैसे कृत्यों में लिप्त हैं। दिनांक 8 सितम्बर, 1980 को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1959 के तहत इंफाल घाटी को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था । दिनांक 26 अक्तूबर, 1979 को पी0एल0ए0, यू0एन0एल0एफ0, पी0आर0ई0पी0ए0के0 और के0सी0पी0 को अधिनियम की धारा 3(1) के तहत गैर कानूनी संगठन के रूप में घोषित किया गया था । तब से इस प्रतिबंध को नहीं हटाया गया है और ये संगठन अभी भी गैर कानूनी संगठन हैं । दिनांक 13 नवमबर, 1999 को अन्य मैतेई अलगाववादी संगठनों के साथ एम0पी0एल0एफ0 को भी गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया था ।

हलफनामे के अनुसार मैतेई अलगाववादी संगठन अभी भी भारत से अलगाव का प्रचार कर रहे हैं और भारत सरकार के विरुद्ध अपनी लड़ाई जारी रखने के लिए सुरक्षा बल उनके अभी भी मुख्य लक्ष्य हैं । अपनी गतिविधियों को जारी रखने के लिए जबरन धन ऐंठने का उनका कार्य भी जारी है । इंफाल स्थित डॉन बोस्को प्रशिक्षण विद्यालय के तीन कैथोलिक पादरियों की हाल में वाई0के0एल0/के0 की संदिग्ध गतिविधियों द्वारा इंफाल में इसलिए हत्या की गई क्योंकि कैथोलिक पादरियों ने धन ऐंठने की उनकी मांग के आगे झुकने से मना कर दिया था । इससे उनके द्वारा दी जा रही निरंतर धमकियों का पता चलता है । इन संगठनों के वृतांत से इनकी राजद्रोह की प्रवृत्ति का पता चलता है । यह दावा किया गया है कि यदि इस अवस्था में इन संगठनों पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया तो वे अपने उद्देश्य में सफल होंगे और इस उद्देश्य को और अधिक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने में यह उनकी मदद करेगा ।

हलफनामे में यह भी बताया गया है कि संघर्ष विराम को बढ़ाए जाने के विरोध में मणिपुर में किए गए आंदोलन के दौरान भूमिगत हुए मैतेई संगठनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसमें उन्होंने मैतेई अतिवादी लोगों की भावना को उकसाया । यह भी बताया गया है कि इस बात की भी संभावना है कि ये संगठन इस मुद्दे पर नागाओं और मणिपुर के बीच जातीय मतभेद को फैलाएं और उसका फायदा उठाएं । हाल में इस आशय के

प्रयास किए गए जिसमें मैतई संगठनों के बीच एकता बढ़ाई जाए ताकिएन0एस0सी0एन0 (आई0एम0) की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव डाला जा सके । यह राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए ठीक नहीं है ।

हलफनामे के अनुसार उग्रवादी संगठनों द्वारा की गई हिंसा की वारदातों के कारण 1997 से कई नागरिक और सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

वर्ष	घटनाओं की कुल संख्या	मारे गए व्यक्ति	मारे गए सुरक्षाकर्मी
1997	220	129	67
1998	176	114	57
1999	230	138	63
2000	185	116	41
2001	190	69	18

यह माना गया है कि मैतई अलगाववादी संगठनों के आपस में और पूर्वोत्तर के अन्य अलगाववादी संगठनों के बीच भी निकट संबंध बना हुआ है । इस बारे में हलफनामें में निम्नलिखित कहा गया है:-

" ..... पी0एल0ए0/आर0पी0एफ0 नागालैंड की नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल के इसाक मुइवाह नामक एक गुट के साथ निकट संबंध स्थापित कर रहा है । यू0एन0एल0एफ0 कुकी नेशनल आर्मी और एन0एस0सी0एन0 के खापलांग नामक एक गुट के साथ संपर्क बना रहा है । के0वाई0के0एल0 ने के0सी0पी0, पी0आर0पी0ए0के0 और यू0एन0एल0एफ0 (ओकन गुट) से अपना समर्थन वापस ले लिया है । यू0एन0एल0एफ0 भी यू0एल0एफ0ए0 और एन0एस0 सी0एन0(के0) द्वारा 1990 में गठित इंडो-बर्मा रिवोल्यूशनरी फ्रंट (आई0बी0आर0एफ0) के साथ समझौते में शामिल है । आई0बी0आर0एफ0 का उद्देश्य संयुक्त रूप से भारतीय सुरक्षा बलों के साथ युद्ध करना है । हालांकि आई0बी0आर0एफ0 बहुत अधिक प्रभावशाली नहीं रहा फिर भी इसने यू0एन0एल0एफ0 और यू0एल0एफ0ए0 के संवर्गों को प्रशिक्षण दिया है । के0वाई0के0एल0 और आई0बी0आर0एफ0 आश्रय देने वाले संगठन हैं जिन्होंने प्रचालनात्मक मामलों में सहयोग के लिए विद्रोही समूहों को मंच प्रदान किए हैं । हाल ही में, पी0आर0ई0, पी0ए0के0, आर0पी0एफ0 और यू0एन0एल0एफ0 मणिपुर पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट (एम0पी0एल0एफ0) नामक एक दूसरा आश्रयदाता संगठन बनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं ।"

शपथ-पत्र में यह कहा गया है कि पी0एल0ए0/आर0पी0एफ0, यू0एन0एल0एफ0, पी0आर0ई0 पी0ए0के0, के0सी0पी0 और के0वाई0के0एल0के0 बंगलादेश और म्यांमार नामक पड़ोसी देशों में शिविर हैं और इन उग्रवादी संगठनों के सदस्यों ने अपनी अलगाववादी और हिंसात्मक गतिविधियां जारी रखी हुई हैं । उन्होंने अपनी अवैध गतिविधियों में सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से विदेशों के साथ संपर्क बनाना और संपर्कों के बनाए रखने का काम भी जारी रखा हुआ है ।

इस बात की भी पुष्टि की जाती है कि मैतई उग्रवादी संगठन एक लंबे समय तक प्रतिबंधित रहने के तथ्य के बावजूद मैतई विद्रोह मणिपुर में और खास तौर से घाटी में सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती बना रहा। संगठनों ने अवैध कर-वसूली, जबरन धन-वसूली या फिरौती के लिए अपहरण के जरिए निधियां एकत्रित करना जारी रखा हुआ है । मैतई उग्रवादी संगठनों द्वारा हथियारों का प्रापण भी जारी है । यह भी विशेष तौर पर स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिबंध को बढ़ाने का निर्णय लेने से पहले निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखा गया था :-

(i) मैतई उग्रवादी संगठनों ने मणिपुर राज्य को भारत से अलग करके स्वतंत्र मणिपुर बनाने के अपने लक्ष्य की खुले तौर पर घोषणा की है; .. ..

(ii) वे अपने उपर्युक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सशस्त्र साधनों का इस्तेमाल करते रहे हैं;

(iii) वे मणिपुर में सुरक्षा बलों, पुलिस, सरकारी कर्मचारियों और कानून का पालन करने वाले नागरिकों पर हमले करते रहे हैं;

(iv) वे अपने संगठन के लिए धन एकत्रित करने के उद्देश्य से सिविलियन जनता को डराने-धमकाने, जबरन धन ऐंठने और लूटपाट के कार्य करते रहे हैं; और

(v) वे अपने अलगाववादी उद्देश्य को प्राप्त करने के प्रयोजन से हथियारों और प्रशिक्षण के जरिए सहायता प्राप्त करके और जनमत को प्रभावित करने के लिए विदेशी स्रोतों से संपर्क स्थापित करने के प्रयास करते रहे हैं ।"

मैतई उग्रवादी संगठनों को अधिनियम के तहत दिनांक 13 नवम्बर, 2001 से अवैध संगम घोषित किए जाने की नई अधिसूचना जारी करने के प्रस्ताव के समर्थन में निम्नलिखित कारण सूचीबद्ध किए गए थे :-

"(i) मणिपुर को भारत से अलग करने की नीति को अपनाना जारी रखना ।

(ii) भारत की एकता और संप्रभुता के लिए खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों में संलिप्तता जारी रखना ।

(iii) अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए साधनों के तौर पर सशस्त्र कार्रवाई के माध्यम से हिंसा और भय बनाए रखना ।

(iv) व्यवसायियों, व्यापारियों और यहां तक कि सरकारी कर्मचारियों सहित जनता से अत्यधिक अवैध कर-वसूली और जबरन धन-वसूली करना ।

(v) अन्य पूर्वोत्तर विद्रोही गुटों के साथ संपर्क रखना और उन्हें समर्थन देना और पड़ौसी देशों के साथ संपर्क रखना ।

(vi) गुप्त माध्यमों द्वारा या विभिन्न सुरक्षा बलों से छीनकर बड़ी संख्या में अत्याधुनिक हथियारों और गोलीबारूद का प्रापण ।

(vii) मणिपुर को भारत से अलग करने के अपने मूल लक्ष्य के प्रति समर्थन जुटाने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक अपनी पहुंच बनाने और उनका इस्तेमाल करने के उद्देश्य से अनरीप्रिसेंटेड नेशन्स और पीपुल्स आरगेनाइजेशन की सदस्यता प्राप्त करने का प्रयास करना।"

उपर्युक्त के मद्देनजर यह बताया जाता है कि अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के प्रावधानों के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत पी0एल0ए0/आर0पी0एफ0, पी0आर0ई0पी0ए0के0, यू0एन0एल0एफ0, के0सी0पी0, के0वाई0के0एल0 और एमपी0एल0एफ0 सहित मैतई उग्रवादी संगठनों को आगे की अवधि के लिए 'विधि विरुद्ध संगम' घोषित करने के लिए नई अधिसूचना जारी करना अनिवार्य समझा गया था । ऊपर बताई गई परिस्थितियों में, शपथ-पत्र के अनुसार, उपर्युक्त अधिसूचना दिनांक 13 नवम्बर, 2001 को एस0ओ0 1124 (ई) के तहत जारी की गई थी ।

शपथ-पत्र के साथ प्रदर्श I से VIII भी संलग्न हैं । प्रदर्श I आर0पी0एफ0/पी0एल0ए0, यू0एन0एल0एफ0, पी0आर0ई0पी0ए0के0, के0वाई0के0एल0, के0सी0पी0 और एम0पी0एल0एफ0 नामक

छः मैतई उग्रवादी संगठनों के लक्ष्यों और उद्देश्यों पर एक संक्षिप्त नोट से संबंधित हैं । शपथ-पत्र के प्रदर्श II में आर0पी0एफ0/पी0एल0ए0 द्वारा दिनांक 13 नवम्बर, 1999 से 31 मई, 2001 तक किए गए अपराधों का विवरण दिया गया है । सूची में उक्त अवधि के दौरान संगठनों के सदस्यों के विरुद्ध दर्ज की गई 449 प्रथम सूचना रिपोर्टों का रिकार्ड दिया गया है । प्रदर्श III में यू0एन0एल0एफ0 संगठन द्वारा दिनांक 13 नवम्बर, 1999 से 31 मई, 2001 तक किए गए अपराधों का विवरण दिया गया है । उक्त अवधि के दौरान इसके विरुद्ध 290 प्रथम सूचना रिपोर्टें दर्ज की गई । शपथ-पत्र के प्रदर्श IV में पी0आर0ई0पी0ए0के0 द्वारा दिनांक 13 नवम्बर, 1999 से 31 मई, 2001 तक किए गए अपराधों का ब्यौरा दिया गया है । उक्त अवधि के दौरान इसके विरुद्ध 161 प्रथम सूचना रिपोर्टें दर्ज की गईं । प्रदर्श V में के0वाई0के0एल0 द्वारा दिनांक 13 नवमबर, 1999 से 31 मई, 2001 तक किए गए अपराधों का ब्यौरा दिया गया है । इस इवधि के दौरान इसके विरुद्ध 147 प्रथम सूचना रिपोर्टें दर्ज की गईं । शपथ पत्र के प्रदर्श VI में 13 नवम्बर, 1999 से 31 मई, 2001 तक की अवधि के दौरान के0सी0पी0 संगठन द्वारा किए गए अपराधों की विस्तृत जानकारी दी गई है । इस अवधि के दौरान इसके विरुद्ध 129 एफ0आई0आर0 दर्ज की गई थी । प्रदर्श VII में 13 नवम्बर, 1999 से 31 मई, 2001 की अवधि के दौरान एम0पी0एल0एफ0 संगठन द्वारा किए गए अपराधों की विस्तृत जानकारी दी गई है जब इसके विरुद्ध दो एफ0आई0आर0 दर्ज की गई थीं ।

मणिपुर सरकार ने एकपक्षीय साक्ष्य के रूप में मणिपुर सरकार, इम्फाल के संयुक्त सचिव (गृह) श्री के0एच0 नेत्रा का शपथ पत्र भी दायर किया है । शपथ-पत्र में इस बात की पुष्टि की गई है कि मणिपुर में आतंकवाद की समस्या पिछले कई वर्षों से चल रही है और यह मैतेई उग्रवादी संगठनों नामतः पी0एल0ए0/आर0पी0एफ0, पी0आर0ई0पी0 ए0के0, यू0एन0एल0एफ0, के0वाई0के0एल0, के0सी0पी0 तथा एमपी0एल0एफ0 द्वारा शुरू की गई है । इस शपथ पत्र के अनुसार इन संगठनों का मुख्य उद्देश्य है मणिपुर को भारत से अलग करके एक स्वतंत्र-प्रभुसत्ता संपन्न राज्य के रूप में स्थापित करना । इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, ये संगठन अनेक गैर कानूनी कार्य कर रहे हैं, जैसे लोगों को डराना, आम जनता से पैसा लूटना, सरकारी कर्मचारियों, पुलिस तथा सुरक्षा कार्मिकों सहित निर्दोष लोगों की हत्या करना, फिरौती के लिए सरकारी कर्मचारियों, व्यापारियों तथा संभ्रांत परिवारों के सदस्यों का अपहरण करना । इन संगठनों को अपने

उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विदेशों, विशेष रूप से पड़ौसी देशों से सहायता मिल रही है । इन मैतई उग्रवादी संगठनों के लक्ष्य और उद्देश्य, जैसे कि शपथ-पत्र में दिए गए हैं, निम्नलिखित हैं:-

I. रिवोल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट/पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पी0एल0ए0)

(क) मणिपुर को भारत से अलग करना और एक अलग प्रभुसत्ता सम्पन्न राज्य बनाना;

(ख) मणिपुर के खोए हुए क्षेत्रों जैसे कांबो घाटी, जो अब म्यांमार में है, को पुनः प्राप्त करना;

(ग) दक्षिण मध्य एशिया के मंगोलियन मूल के लोगों को एक राष्ट्र के रूप में एकत्रित करना और उनमें जागरूकता पैदा करना आदि ।

II. पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपाक (पी0आर0ई0पी0के0)

(क) मणिपुर को भारत से मुक्त करना और उसे एक स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न राज्य के रूप में स्थापित करना;

(ख) रोजगार-उन्मुख शिक्षा भू-सीमा प्रणाली तथा पंचायत प्रणाली शुरू करना;

(ग) पूंजीवाद को समाप्त करना आदि ।

III. यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट (यू0एन0एल0एफ0)

(क) मणिपुर और इसके पड़ौसी राज्यों को भारत के प्रभुत्व से मुक्त करना;

(ख) खोए हुए राजनैतिक प्रभुत्व और उसके पड़ौसी राज्यों को पुनः प्राप्त करना;

(ग) मणिपुर और उसके पड़ौसी राज्यों को मिलाकर एक स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न गणतंत्र स्थापित करना; और

(घ) म्यांमार से मणिपुर के खोए हुए क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करना ।

IV. कांगली याओं कांबा (के0ए0एन0एन0ए0) लुप (के0वाई0के0एल0)

(क) मणिपुर राज्य में कार्य कर रहे सभी क्रांतिकारी संगठनों को एक करना ताकि दुश्मन को पूरी तरह से शिकस्त दी जा सके;

(ख) स्वतंत्रता के लिए एक साथ मिलकर संघर्ष करना ।

V. कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी (के0सी0पी0)

(क) श्रमजीवी वर्ग और कृषकों की स्वतंत्रता को परिभाषित करना;

(ख) कांगलीपाक के लोगों की नृजाति पहचान को संरक्षित करना;

(ग) उन राजनैतिक दलों को, जो उनके विरुद्ध हैं, समाप्त करना;

(घ) कांगलीपाक के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करना ।

VI. मणिपुर पीपल्स लिबरेशन फ्रंट (एम0पी0एल0एफ0)

(क) क्रांतिकारी दलों के बीच एकता की कमी के कारण स्वतंत्रता संग्राम की धीमी प्रगति को दूर करना जिसके कारण लोगों में उलझाव पैदा हो रहा है ।

(ख) तीन दल सिद्धांत रूप में एक नए एकीकृत दल में विलयन के लिए सहमत हो गए हैं जो धीरे-धीरे किया जाएगा ।

(ग) अपने-अपने दलों के अगुआ संगठनों में से एक-एक प्रतिनिधि को लेकर दो प्रतिनिधियों का एक स्थायी निकाय बनाया गया है जो तीनों दलों की सामान्य नीतियां और कार्यक्रम बनाएगा। स्थायी निकाय का नाम मणिपुर पीपल्स लिबरेशन फ्रंट रखा गया है जिसे संक्षिप्त रूप में एम0पी0एल0एफ0 कहा जाएगा ।

(घ) एम0पी0एल0एफ0 के निर्णयों के निष्पादन के लिए एक कार्यकारी समिति बनाई गई है ।

(ङ) तीनों दलों के वित्तीय मामलों से संबंधित समस्त कार्य समेकित होंगे । समेकित वित्तीय नीतियां और कार्यक्रम बनाने के लिए एक वित्त कार्य समिति बनाई गई है ।

(च) नीतियों और कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए एक वित्तीय उप-समिति भी गठित की गई है । इन तीन दलों ने यह निर्णय लिया है कि दल-वार निधियां इकट्ठी करने के बजाए एक साथ निधियां इकट्ठी की जाएंगी ।"

हलफनामे के अनुसार, 13 नवम्बर, 1999 से 31 मई, 2001 की अवधि के दौरान, मैतई उग्रवादी संगठनों के विरुद्ध 1175 मामले दर्ज किए गए थे । 2612 पृष्ठों वाली प्रथम सूचना रिपोर्टों की प्रतिलिपियां प्रदर्श पी-1 के रूप (एकत्रित रूप से) में हलफनामे के साथ चिन्हित हैं । हलफनामे के अनुसार, जांच के दौरान तथा मैतई उग्रवादी संगठनों के कुछ सदस्यों की गिरफ्तारी के दौरान भी, उनके पास से बहुत से दस्तावेज जब्त किए गए थे । इन दस्तावेजों की प्रतिलिपियां जो लगभग 211 पृष्ठों की हैं, प्रदर्श पी/2 (एकत्रित रूप से) के रूप में चिन्हित की गई हैं । मैतेई उग्रवादी संगठनों की गतिविधियों को दर्शाने वाली रिपोर्टों/समाचारों की प्रतिलिपियां प्रदर्श पी/3 (एकत्रित रूप से) के रूप में चिन्हित की गई हैं । आगे इस बात की भी पुष्टि की जाती है कि मणिपुर सरकार तथा भारत सरकार द्वारा किए जा रहे निष्ठापूर्वक प्रयासों के बावजूद, वे अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल नहीं रहे तथा हाल ही में संगठनों की गतिविधियां बढ़ गई हैं ।

मणिपुर के विभिन्न मैतेई उग्रवादी संगठनों की गतिविधियों के संबंध में जांच अधिकारियों के शपथ-पत्र भी दर्ज किए गए हैं ।

मैतेई उग्रवादी संगठनों को, इस अधिनियम के तहत विधिविरुद्ध संगम घोषित किए जाने के संबंध में गृह मंत्रालय में अवर सचिव, भारत सरकार, श्री रामफल के "मूल" शपथ-पत्र तथा प्रदर्श-I से VII जो इस शपथ-पत्र का भाग हैं और श्री के0एन0 नेत्रा, संयुक्त सचिव (गृह) मणिपुर सरकार, इम्फाल के शपथ-पत्र तथा इसके साथ प्रदर्श पी-1, पी/2 तथा पी/3 तथा जांच अधिकारियों के शपथ-पत्रों सहित रिकार्ड की गई समस्त सामग्री का अवलोकन एवं मूल्यांकन करने के बाद इस अधिकरण का मत है कि मणिपुर की स्वतंत्रता तथा भारत से इसे अलग करने के लिए कार्यरत उक्त मैतेई उग्रवादी संगठन विधिविरुद्ध संगम है तथा ये अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सुरक्षा बलों, पुलिस कार्मिकों, सरकारी कर्मचारियों को निशाना बना रहे है तथा उनकी हत्या कर रहे हैं और ये जबरन धन ऐंठने, राजद्रोही सामग्री के प्रकाशन, फिरौती के लिए लोगों के अपहरण,

परिष्कृत शस्त्र एवं हथियारों के अधिग्रहण और प्रशिक्षण तथा विदेशी सहायता प्राप्त करने जैसी कार्रवाइयों में लिप्त है । उक्त संगठनों को विधिविरुद्ध संगम घोषित करने के लिए केन्द्र सरकार तथा मणिपुर राज्य द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का कोई खंडन नहीं किया गया है । मैतेई उग्रवादी संगठनों ने इस अधिकरण के सम्मुख पेश न होने का निर्णय लिया । रिकार्ड पर दर्ज दस्तावेजी साक्ष्य, जो केन्द्र सरकार तथा मणिपुर राज्य द्वारा दर्ज किया गया है, को मैतेई उग्रवादी संगठनों द्वारा कोई चुनौती नहीं दी गई है । रिकार्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो मणिपुर राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा रिकार्ड में प्रस्तुत की गई सामग्री की विश्वसनीयता का खंडन करे ।

मणिपुर राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों से अधिकरण यह महसूस करता है कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के तहत मणिपुर के मैतेई उग्रवादी संगठनों को विधिविरुद्ध संगम घोषित किए जाने के पर्याप्त कारण हैं । अतः भारत सरकार द्वारा दिनांक 13 नवम्बर, 2001 की अधिसूचना एस0ओ0 1124(अ) को जारी करना सही था ।

ह0/-
(अनिल देव सिंह)
विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण
नई दिल्ली

10 मई, 2002

[सं. 8/22/2001-एन ई-I]
सुरेन्द्र कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(N.E. Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st May, 2002

S.O. 583(E).—The following is published for general information :—

THE UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) TRIBUNAL

consisting of Hon'ble Mr. Justice Anil Dev Singh,
Judge, High Court of Delhi, New Delhi.

- - - - -

In the matter of

DECLARATION OF THE MEITEI EXTREMIST ORGANISATIONS OF MANIPUR,

namely,

1. The People's Liberation Army generally known as the PLA and its political wing, the Revolutionary People's Front (RPF);

2. The United National Liberation Front (UNLF);

3. The People's Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK) and its armed wing, the "Red Army";

4. The Kangleipak Communist Party (KCP) and its armed wing, also called the "Red Army";

5. The Kanglei Yaol Kanba Lup (KYKL), and

6. The Manipur People's Liberation Front (MPLF)

TO BE UNLAWFUL ASSOCIATIONS UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 3 OF THE UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) ACT, 1967 (37 OF 1967),

AND

In the matter of

REFERENCE UNDER SECTION 4(1) OF THE UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) ACT, 1967.

ORDER:

On November 13, 2001, the Government of India in the Ministry of Home Affairs, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (**for short 'the Act'**), issued a notification, being S.O. 1124(E), whereby the Central Government declared the

Meitei Extremist Organisations, namely, The People's Liberation Army generally known as the PLA and its political wing, the Revolutionary People's Front (RPF); The United National Liberation Front (UNLF); The People's Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK) and its armed wing, the 'Red Army'; The Kangleipak Communist Party (KCP) and its armed wing, also called the 'Red Army'; The Kanglei Yaol Kanba Lup (KYKL); and The Manipur People's Liberation Front (MPLF), to be unlawful associations. The notification reads as follows :-

"MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 13th November, 2001.

S.O. 1124(E). – Whereas the Peoples' Liberation Army, generally known as the PLA, and its political wing, the Revolutionary People's Front (RPF), the United National Liberation Front UNLF), the People's Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK) and its armed wing, the "Red Army", the Kangleipak Communist Party (KCP) and its armed wing, also called the "Red Army", the Kanglei Yaol Kanba Lup (KYKL) and the Manipur People's Liberation Front (MPLF) (hereinafter collectively referred to as the Meitei Extremist Organisations) have

(i) openly declared as their objective the formation of an independent Manipur by secession of Manipur State from India;

(ii) been employing and engaging in armed means to achieve their aforesaid objective;

(iii) been attacking the Security Forces, the Police, Government employees and law abiding citizens in Manipur;

(iv) been indulging in acts of intimidation, extortion and looting of civilian population for collection of funds for their organisation; and

(v) been making efforts to establish contacts with sources abroad for influencing public opinion and for securing their assistance by way of arms and training for the purpose of achieving their secessionist objective.

2. And whereas, the Central government is of the opinion that for the reasons aforesaid, the Meitei Extremist Organisations and other bodies set up by them, including the armed groups named above, are unlawful associations.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the Meitei Extremist Organisations, namely, the Peoples' Liberation Army; generally known as the PLA and its political wing, the Revolutionary People's Front (RPF), the United National Liberation Front (UNLF), the People's Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK) and its armed wing, the "Red Army", the Kangleipak Communist Party (KCP) and its armed wing, also called the "Red Army", the Kanglei Yaol Kanba Lup (KYKL) and the Manipur People's Liberation Front (MPLF) to be unlawful associations.

4. And whereas, -

(i) there have been repeated continuing and ongoing acts of violence and attacks by (armed groups and members of the Meitei Extremist Organisations) on the Security Forces and the civilian population;

(ii) there has been an increase in the strength of the Meitei Extremist Organisations;

(iii) there has been continued collection of funds/extortions and acquisition of sophisticated weapons;

(iv) camps in some neighbouring countries continue to be maintained for the purpose of sanctuary, training and clandestine procurement of arms and ammunition.

5. And whereas, the Central Government is of the opinion that the aforesaid activities of the Meitei Extremist Organisations are detrimental to the sovereignty and integrity of India, and if these are not immediately curbed and controlled, the said Meitei Extremist

Organisations would regroup and rearm themselves, expand their cadres, procure sophisticated weapons, cause heavy loss of lives of civilians and Security Forces, and accelerate their activities aimed at secession of Manipur from India.

6. Now, therefore, having regard to the circumstances referred in paragraph 4 and 5, the Central Government is of the opinion that it is necessary to declare the Meitei Extremist Organisations, namely, the People's Liberation Army, generally known as the PLA, and its political wing, the Revolutionary People's Front (RPF), the United National Liberation Front (UNLF), the People's Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK) and its armed wing, the "Red Army", the Kangleipak Communist Party (KCP) and its armed wing, also called the "Red Army", the Kanglei Yaol Kanba Lup (KYKL) and the Manipur People's Liberation Front (MPLF), as unlawful associations with immediate effect; and accordingly, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of the said section 3, the Central Government hereby directs that the Notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect from the date of publication in the Official Gazette.

[F.No.8/22/2001-NE.I]
SURENDRA KUMAR, Jt.Secy."

The aforesaid notification was followed by another notification of the Government of India dated December 6, 2001, being S.O. 1196(E), issued under sub-section (1) of section 5 of the Act, constituting this Tribunal for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the Meitei Extremist Organisations of Manipur as unlawful associations. The notification is as follows :-

"MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 6th December, 2001

S.O. 1196(E). – In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby constitutes "The Unlawful Activities (Prevention) Tribunal" consisting of Shri Justice

A.D. Singh, Judge of Delhi High Court, for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause of declaring the Meitei Extremist Organisations of Manipur as unlawful associations.

[F.No.8/22/2001-NE.I]
SURENDRA KUMAR, Jt.Secy."

On receipt of the notification, resume of the case and other papers, the matter was placed before the Tribunal on December 18, 2001 when the matter was directed to be listed for preliminary hearing on December 19, 2001 at 2.30 P.M. On December 19, 2001, notices were directed to be issued to the Meitei Extremist Organisations of Manipur under and in terms of sub-section (2) of section 4 of the Act to show cause in writing within thirty days from the date of service of notice. The order reads as follows:-

"Notices be issued to the Meitei Extremist Organizations of Manipur namely the People's Liberation Army (PLA) and its political wing, the Revolutionary People's Front (RPF), the United National Liberation Front (UNLF), the People's Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK) and its armed wing the "Red Army, the Kangleipak Communist Party (KCP) and its armed wing also called the "Red Army", the Kanglei Yaol Kanba Lup (KYKL) and the Manipur People's Liberation Front (MPLF) under and in terms of sub-section (2) of section 4 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (hereinafter called the Act) to show cause in writing within 30 days from the date of service of notice.

Notices shall be served in the same manner as the notification had been served by the Central Government by serving through the daily National and Local newspapers circulated and published in Manipur as well as by broadcasting on radio and television. Notices should also be served by pasting the same on the Notice Boards of the offices of each District Magistrate/Tehsildar at the Headquarters of the District or Tehsil, wherever possible.

Notices be also served on offices of the Meitei Extremist Organisations, aforementioned by publication in a daily newspaper

circulated in the locality where their offices are situated in the State of Manipur and outside, if any.

Necessary steps be taken for serving the notices, by publication, affixation and broadcasting within two weeks from today. Service Reports be filed in the office of the Registrar of this Tribunal, within two weeks thereafter, duly supported by affidavits of the concerned officers/officials who effected the services along with supporting...

Meanwhile, Central Government and State Government of Manipur should produce relevant documents and other material in their possession on which they want to rely. The evidence by way of affidavits and supporting documents be filed in duplicate.

Ordinarily, the sitting of the Tribunal will be at New Delhi. However, the sitting of the Tribunal would be in the State of Manipur or any other place as and when required.

To come up on February 13, 2002 at 4.15 in the Committee Room no. 243, Second Floor, A-Block, Delhi High Court Building, Sher Shah Suri Marg, New Delhi-110003."

Pursuant to the order dated December 19, 2001, an affidavit of Shri Ram Phal, Under Secretary, Government of India in the Ministry of Home Affairs, on behalf of the Government of India, affirmed on February 11, 2002, was filed to show compliance of the order. Similar affidavit of Shri Kh. Netra, Joint Secretary (Home), Govt. of Manipur, Imphal, affirmed on February 8, 2002, was also filed by the State of Manipur. Taking notice of the affidavits, the following order was passed by the Tribunal on February 13, 2002 –

"On 19th December, 2001, this Tribunal had directed notice to be issued to Meitei Extremist Organisations of Manipur under and in terms of sub-section (2) of section 4 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, to show cause in writing within thirty days from the date of service of notice.

Pursuant to the order dated 19th December, 2001 and to show compliance thereof, an affidavit has been filed by Shri Ram Phal, Under Secretary to the Government of India, Ministry of Home Affairs, New Delhi, affirmed on February 11, 2002. According to the affidavit, notices were forwarded by the Central Government to the Chief Secretary, Government of Manipur, for taking necessary action, in accordance with the orders dated 19th December, 2001 of the Tribunal. It is also stated that the Government of Manipur took the following action for effecting service of the notices :-

(i) The notices were published in local newspaper, namely, Poknapham, dated 2nd February, 2002 and Sanai Express (Local Newspaper), dated 3rd February, 2002 (**Annexure-I & II**).

(ii) Government of Manipur also directed Director General of Police (Manipur), Deputy Commissioner (Senopati), Superintendents of Police (Chandel, Ukhrul, Thoubla & Tamenglong) to take necessary action affecting the service of notices to the Meitei extremist organizations. These reports are at **Annexures-III to VIII.**

The affidavit is accompanied by the copies of aforesaid newspapers' cuttings containing the requisite notices. The affidavit is also accompanied by reports regarding service of the notices.

The State of Manipur has also presented the affidavit of the Joint Secretary (Home), Government of Manipur, Imphal, affirmed on 8th February, 2002. Paragraphs 3, 4 and 5 of the affidavit read as follows :-

> "3. That the Office of the Chief Secretary, Govt. of Manipur, received the letter bearing No. 8/22/2001NE-I dated the Dec., 21, 2001 of the Under Secretary to the Govt. of India. On receipt of the said letter, I, in my official capacity, have forwarded the above said letter of the Ministry of Home Affairs dated Dec. 21, 2001 under letter No. 6/1(4)2001-8 dated 3rd January, 2002 to (1) The Director General of Police, Manipur, (2) All the Deputy Commissioners (District Magistrates) in Manipur, and (3) All the Superintendents of Police in Manipur along with sufficient number of copies of the said letter and notices

issued by the Registrar of Tribunal to all the Meitei Extremists namely, (1) the Peoples Liberation Army (PLA) and its political wing, the Revolutionary People's Front (RPF), the United National Liberation Front (UNLF), the People's Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK) and its armed wing the "Red Army", the Kangleipak Communist Party (KCP) and it's armed wing also called the "Red Army", the Kanglei Yaol Kanba Lup (KYKL) and the Manipur Peoples Liberation Front (MPLF) for serving the notices by publication, affixation and broadcasting as instructed in the above said letter dated Dec. 21, 2001.

4. That the Home Department, Government of Manipur , published the notices in two local dailies named (1) The Poknapham dated 2nd Feb., 2002, and (2) the Sangai Express on 3rd Feb. 2002.

5. That pursuant to the said instructions and in compliance with the order dated 19-12-2001 of the Tribunal , the Govt. of Manipur complied with the directions thereof."

The aforesaid affidavit of Shri Ram Phal, Under Secretary, which is accompanied by annexures, and the affidavit of the Joint Secretary (Home), Government of Manipur, Imphal, show that the service has been effected on the Meitei Extremist Organisations.

We may notice that an earlier affidavit of Shri Jatinderbir Singh, Director, Government of India, Ministry of Home Affairs, affirmed on 30th January, 2002 has also been filed on February 8, 2002. According to the affidavit, the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (10) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (for short 'the Act') issued notification S.O. 1124(E) dated 13th November, 2001 declaring Meitei extremist organisations as unlawful associations. The affidavit refers to the fact that in exercise of powers conferred by the proviso to sub-section (3) of the said section 3, the Central Government has also directed that the notifications shall, subject to any order that may be made, under section 4 of the said Act, have effect from the date of publication in the official Gazette. The affidavit goes on to state that the notification was forwarded by the Central Government to the Chief Secretary, Government of Manipur, for taking necessary action to serve the notification and that the Government of Manipur took following actions for effecting service of notification :-

(a) The notification was published in two local newspapers, namely, "Kangleipak Meira" dated 1st December, 2001 and "Sanaleibak" dated 14th November, 2001. Copies of newspaper clipping are at **Annexures I & II** respectively.

(b) Government of Manipur also published the notification in their official Gazette and directed for wide publication of the notification to DGP (Manipur), IG (Intelligence) of Manipur, All District Magistrates, Director of Information, Public Relations, Station Director (AIR) of Imphal and all Superintendents of Police (**Annexure-III**).

(c) Deputy Commissioners of Senapati, Tamenglong and Thoubal were asked to arrange wide publicity of the notification declaring Meitei Extremist organisations as unlawful associations. Their reports are at **Annexures-IV to VI.**

(d) Superintendent of Police of Imphal East, Thoubal, Imphal West, Bishnupur, Churachandpur and Tamenglong were also asked to arrange wide publicity of the notification declaring Meitei extremist organisations as unlawful associations. Their reports (except from Imphal West) are at **Annexures-VII to XI.**

List the matter for further proceedings on 11th March, 2002 at 4.15 P.M."

On March 11, 2002, the matter was again taken up by the Tribunal. Despite service, no one appeared on behalf of the Meitei Extremist Organisations of Manipur. Accordingly, they were proceeded ex parte. By the same order directions were issued to the Central Government and the State of Manipur to file affidavits by way of ex parte evidence along with copies of relevant documents in support of their respective stands. The order reads as follows :-

"There is no appearance on behalf of the Meitei Extremist Organisations of Manipur. Accordingly, they are proceeded ex parte.

Let the counsel for the Union of India and the State of Manipur file affidavits by way of ex parte evidence along with copies of relevant documents in support of their stands within three weeks.

Learned counsel for the State of Manipur has filed his power of attorney. Let the same be taken on record.

List the matter on April 4, 2002 at 4.15 P.M. for further proceedings."

In response to the order dated March 11, 2002, the Central Government as well as the State of Manipur filed affidavits by way of ex parte evidence on April 4, 2002. However, the index of documents accompanying the affidavits were not filed and the State of Manipur and it was directed to file the index of documents. The order dated April 4, 2002 reads as follows :-

"Affidavits by way of ex parte evidence have been filed on behalf of the State of Manipur and the Union of India. Learned counsel appearing for the State of Manipur says that the index of documents exhibited along with the affidavits shall be filed within one week.

List the matter on April 11, 2002 at 4.15 P.M. for further proceedings."

When the matter came up for hearing on April 11, 2002, the learned counsel appearing for the State of Manipur sought further time to file the index of documents. Accepting his request, the matter was adjourned to April 15, 2002 for directions. Even on April 15, 2002, the State of Manipur was not able to file the index of documents.

It was, however, stated that the index of documents shall be filed within two days. The Government of India and the State of Manipur were given permission to file additional affidavits by way of ex parte evidence. The order dated April 15, 2002 is extracted below –

> "Learned counsel appearing for the State of Manipur says that the index of documents shall positively be filed within two days.
>
> Learned counsel for the Government of India and the State of Manipur point out that they have already filed documents by way of ex parte evidence in support of their respective cases. Any additional affidavit by way of ex parte evidence which the State of Manipur and the Government of India wish to file, may be presented before the next date. It will also be open to the State of Manipur and the Government of India to produce and examine their witnesses on the next date.
>
> List the matter for hearing on April 30, 2002 at 3.00 P.M."

On April 30, 2002, the Central Government and the State of Manipur were heard in part. For further arguments, the matter was fixed for May 6, 2002. The order dated April 30, 2002 reads as follows :-

> "Learned counsel for the State of Manipur has since filed the index of documents. There is no appearance on behalf of the Meitei Extremists Organisations. Arguments on behalf of the State of Manipur and the Union of India heard in part.
>
> To come up on May 6, 2002 at 4.00 P.M.
>
> It will be open to the Meitei Extremists Organisations to participate in the proceedings of the Tribunal on the next date, if they are so minded and if they choose to appear.

On May 6, 2002, the arguments were concluded by the Central Government and the State of Manipur. It may, however, be mentioned that the Meitei Extremist Organisations did not participate in the proceedings at all. They were duly served in accordance with law. The Central Government and the State of Manipur urged that there is abundance of evidence on record which supports the fact that the activities of the Meitei Extremist Organisations are unlawful and, therefore, they were rightly declared to be unlawful associations under sub-section (1) of section 3 of the Act. Consequently, it was prayed that the notification dated November 13, 2001 issued by the Central Government be confirmed.

At the outset it is appropriate to refer to the facts which have been placed on record by means of an affidavit of the Central Government filed on April 4, 2002, titled "Substantial Affidavit for Declaration of Meitei Extremist Organisations as Unlawful Associations under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967". This affidavit has been affirmed by Shri Ram Phal, Under Secretary to the Government of India in the Ministry of Home Affairs, New Delhi. It is brought out in the affidavit that the State of Manipur is inhabited by the Meiteis and tribals. While the Meiteis form 66% of the total population and are concentrated in the Imphal Valley, the remaining population consists of tribes including Nagas and Kukis who live in the hill area. The valley is affected by insurgency of various Meitei extremist organisations. As per the affidavit, the following are major Meitei extremist organisations :-

1. The People's Liberation Army (PLA)/the Revolutionary People's Front (RPF);

2. The United National Liberation Front (UNLF);
3. The People's Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK);
4. The Kangleipak Communist Party (KCP);
5. The Kanglei Yaol Kanba Lup (KYKL); and
6. The Manipur People's Liberation Front (MPLF).

The hill areas are affected by the activities of Naga extremists, belonging to the National Socialist Council of Nagaland (NSCN), and Kuki extremists. The hill areas are also affected by tribal ethnic clashes. According to the affidavit, the Meitei extremist organisations have been responsible for a number of violent incidents. Besides, they indulge in targeting security forces, extortions, killings of people, propagating secession from India, looting of banks and intimidation, etc. On September 8, 1980, under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958, Imphal Valley was declared as a disturbed area. On October 26, 1979, the PLA, UNLF, PREPAK and KCP were declared as unlawful associations under section 3(1) of the Act. Since then this ban has not been lifted and these organizations continue to be unlawful associations. On November 13, 1999, the MPLF was also declared unlawful association along with other Meitei extremist organisations.

As per the affidavit, the Meitei extremist organizations continue to propagate secession from India and the security forces remain one of their prime targets in their plans to perpetuate their war against the Government of India. Their extortion activities continue to fill up their coffers. Three Catholic priests of Don Bosco Training School in Imphal were recently killed in Imphal by suspected KYKL/K activists since the Catholic priests refused to succumb to their extortionists demands. This is stated to be indicative of the continuous threat posed by them. The write ups of these

1754/GI/02-5

organisations indicate their seditious tendencies. It is claimed that withdrawal of ban on these organisations at this juncture would strengthen their cause and help them in further internationalising the same

The affidavit further states that in the course of the anti cease-fire extension agitation in Manipur, the Meitei underground organisations played a major role in provoking the Meitei chauvinistic sentiments. It is also stated that these organisations are likely to exploit and manipulate the ethnic divide between Nagas and Manipur over the issue. There was a recent effort to forge unity among the Meitei organisations to make a stronger impact vis-à-vis NSCN(IM). This does not augur well for the law and order situation in the State.

According to the affidavit, due to violent incidents by the militant organisations, several civilians and security personnel were killed since the year 1997 as per details given below :-

Year	Total No.of accidents.	Killed	
		Persons	Security Forces Personnel
1997	220	129	67
1998	176	114	57
1999	230	138	63
2000	185	116	41
2001	190	69	18

It is asserted that the Meitei extremist organisations maintain close links with each other and also other extremist organizations in the North East. In this regard the affidavit states as follows :-

".....The PLA/RPF is maintaining close links with the Issac-Muivah faction of the national Socialist Council of Nagaland. The UNLF is maintaining contacts with the Khaplang faction of NSCN as well Kuki National Army. The KYKL draws its support from KCP, PREPAK and UNLF (Oken faction). The UNLF is also a signatory to the Indo-Burma Revolutionary Front (IBRF) formed in 1990 by the ULFA and NSCN(K). The aim of IBRF was to jointly fight the Indian Security Forces. Though IBRF has not been very effective, it has provided training to the cadres of the UNLF and ULFA. The KYKL and IBRF are umbrella organisations offering platforms to insurgent groups for cooperation in operational matters. Recently, the PREPAK, RPF and UNLF have joined together to form another umbrella organisation named the Manipur People's Liberation Front (MPLF)."

The affidavit goes on to State that the PLA/RPF, UNLF, PREPAK, KCP and KYKL have camps in neighbouring countries, viz., Bangladesh and Myanmar, and the members of these extremist organisations are continuing their secessionist and violent activities. They also continue to make efforts to establish and sustain contacts with foreign countries with a view to securing assistance in their unlawful activities.

It is further affirmed that despite the fact that the Meitei extremist organisations have remained under a ban for a long period, Meitei insurgency remains a serious security concern in Manipur, particularly in the Valley. The organisations continue to resort to massive mobilisation of funds by unlawful tax collections, extortion or even kidnapping, or abduction for ransom. The procurement of arms by the Meitei extremist organisations has also been continuing. It is categorically stated that the following facts were taken into consideration before deciding to extend the ban :-

(i) The Meitei extremist organisations have openly declared as their objective the formation of an independent Manipur by secession from India;...

(ii) They have been employing armed means to achieve their aforesaid objective.

(iii) They have been attacking the Security Forces, the police, Government employees and law-abiding citizens in Manipur;

(iv) They have been indulging in acts of intimidation, extortion and looting of civilian population for collection of funds for their organisations; and

(v) They have been making efforts to establish contacts with sources abroad for influencing public opinion and for securing assistance by way of arms and training for the purpose of achieving their secessionist objective."

The following reasons were listed in support of the proposal for issuance of fresh notification declaring the Meitei extremist organisations as unlawful associations under the Act w.e.f. November 13, 2001 :-

"(i) Continued espousal of the policy of secession of Manipur from India.

(ii) Continued engagement in activities prejudicial to the sovereignty and integrity of India.

(iii) Continued adoption of violence and terror through armed action as means for achieving their objective

(iv) High levels of extortions and illegal tax collections from the public including businessmen, trades and even Government employees.

(v) Links and support to other North-East insurgent groups and with neighbouring countries.

(vi) Procurement of large number of sophisticated arms and ammunition through clandestine channels or by snatching from various security forces.

(vii) Attempts to gain membership of the Unrepresented Nations and People's Organisation with the intention to access and utilize the various international fora for mobilising support towards their ultimate objective of separating Manipur from India."

In view of the above it is asserted that it was considered imperative to issue a fresh notification for further declaration of the Meitei extremist organisations including the PLA/RPF, PREPAK, UNLF, KCP, KYKL and MPLF as "unlawful associations" under sub-section (1) of section 3 read with proviso to sub-section (3) of section 3 of the Act. In the circumstances explained above, as per the affidavit, the aforesaid notification, being S.O. 1124(E) dated November 13, 2001, was issued.

The affidavit is accompanied by Exhibits I to VIII. Exhibit-I relates to brief notes on the aims and objectives of the six Meitei extremist organisations, viz., RPF/PLA, UNLF, PREPAK, KYKL, KCP, and MPLF. Exhibit II to the affidavit furnishes details of crimes committed by RPF/PLA from November 13, 1999 to May 31, 2001. The list records 449 FIRs which were registered against the members of the organisations during the aforesaid period. Exhibit III furnishes details of crimes committed by UNLF organisation from November 13, 1999 to May 31, 2001. During the aforesaid period 290 FIRs were recorded against it. Exhibit IV to the affidavit furnishes details of crimes committed by PREPAK organisation from November 13, 1999 to May 31, 2001. During the aforesaid period 161 FIRs were lodged against it. Exhibit V furnishes details of crimes committed by KYKL from November 13, 1999 to

May 31, 2001. During this time 147 FIRs were registered against it. Exhibit VI to the affidavit gives details of crimes committed by KCP organisation during the period November 13, 1999 to May 31, 2001 during which 129 FIRs were lodged against it. Exhibit VII lists details of crimes committed by MPLF organisation during the period November 13, 1999 to May 31, 2001 when two FIRs were registered against it.

The State of Manipur has also filed an affidavit of Shri Kh. Netra, Joint Secretary (Home), Govt. of Manipur, Imphal , on April 2, 2002 by way of ex parte evidence. The affidavit affirms that the problem of insurgency has continued in Manipur for the last many years and it has been created by the Meitei extremist organisations, namely, PLA/RPF, PREPAK, UNLF, KYKL, KCP, and MPLF. According to the affidavit, the main objective of these organisations is the formation of Manipur as an independent sovereign country by seceding from India. In order to achieve the objective, these organisations have been indulging in various unlawful activities, namely, intimidation, extortion of money from general public, terrorising and killing innocent people including government employees, police and security personnel, kidnapping and abduction of government officials, businessmen and members of the well-to-do families for ransom. The organisations have been receiving assistance from foreign countries, particularly the neighboring countries, for fulfilling their objectives. The aims and objectives of each one of these Meitei extremist organisations, as detailed in the affidavit, are as follows :-

I. REVOLUTIONARY PEOPLE'S FRONT/PEOPLE'S LIBERATION ARMY (PLA) :

(a) to secede Manipur from India and form a separate Sovereign State;

(b) to regain the lost territories of Manipur like the Kabow valley which is now in Myanmar; and

(c) to unify the people of Mongolian origin of South Middle Asia into one nation and bring awareness amongst them etc.

II. PEOPLE'S REVOLUTIONARY PARTY OF KANGLEIPAK (PREPAK) :

(a) to free Manipur from India and establish an independent Soverign State;

(b) to introduce job-oriented education, land ceiling system and panchayat system;

(c) to abolish capitalism, etc.

III. UNITED LIBERATION FRONT (UNLF) :

(a) to liberate Manipur and its neighbours from the domination of India;

(b) to restore the lost political sovereignty and her neighbours;

(c) to establish an Independent Sovereign Republic comprising Manipur and her neighbours; and

(d) to regain the lost territories of Manipur from Myanmar.

IV. KANGLEI YAON KANBA (KANNA) LUP (KYKL) :

(a) to unite all the revolutionary organisations operating in the State of Manipur so as to completely defeat the enemy;

(b) to fight together in the struggle for independence.

V. KANGLEIPAK COMMUNIST PARTY (KCP) :

(a) to define the liberty of the proletariat class and farmers;

(b) to preserve the ethnic identity of the people of Kangleipak;

(c) to liquidate political parties which are against them; and

(d) to win freedom for Kangleipak.

VI. MANIPUR PEOPLE'S LIBERATION FRONT (MPLF) :

(a) to remove the slow progress of liberation struggle because of lack of unity among the revolutionary parties resulting in confusion among the public;

(b) the three parties have agreed in principle to merge together into a new unified entity to be achieved gradually and step by step;

(c) a permanent body having two representatives each from the leading organisations of the respective parties has been formed to formulate common policies and programmes of the three parties. The permanent body has been named as Manipur People's Liberation Front, MPLF in abbreviation;

(d) an Executive Committee has been formed to execute the decision of MPLF;

(e) all the works relating to financial matters of the three parties shall be integrated. To formulate the integrate financial policies and programmes, a Financial Affairs Committee has been formed;

(f) a financial sub-committee has also been constituted to implement the policies and programmes. The three parties have decided to raise collective funds without resorting to collection of funds party wise."

As per the affidavit, during the period November 13, 1999 to May 31, 2001 as many as 1175 cases were registered against the Meitei extremist organisations. Copies of the FIRs running into 2612 pages have been marked as Exhibit P-1 (collectively) accompanying the affidavit. As per the affidavit, during the course of investigation and also at the time of arrest of some of the members of the Meitei extremist organisations, a large number of documents were seized from them. Copies of these documents running into 211 pages have been marked as Exhibit P/2 (collectively). Copies of the reports/news items reflecting the activities of the Meitei extremist organisations have been marked as Exhibit P/3 (collectively). It is further affirmed that despite sincere efforts being made by the Government of Manipur and the Government of India, they have not been successful in achieving the goal and of late the activities of the aforesaid organisations have increased.

Affidavits of Investigating Officers have also been filed regarding the activities of the various Meitei extremist organisations of Manipur.

On perusal and assessment of the entire material on record including the "Substantial" affidavit of Shri Ram Phal, Under Secretary to the Government of India in the Ministry of Home Affairs, New Delhi, for declaring the Meitei extremist organisations as unlawful associations under the Act and Exhibits I to VII which form part of the affidavit, and the affidavit of Shri Kh. Netra, Joint Secretary (Home), Government of Manipur, Imphal, and Exhibits P-1, P/2 and P/3 accompanying thereto, and the affidavits of the Investigating Officers, this Tribunal is of the view that the Meitei extremist organisations noted above are unlawful associations working for the

independence of Manipur and its secession from India, and they have been targeting and killing security forces, police personnel, government employees, indulging in extortions, publishing seditious material, kidnapping people for ransom, acquiring sophisticated arms, weapons and training and seeking foreign help to achieve their objectives. There is no rebuttal to the evidence adduced by the Central Government and the State of Manipur to the aforesaid effect. The Meitei extremist organisations did not choose to appear before this Tribunal. The documentary evidence on record which has been filed by the Central Government and the State of Manipur has not been challenged by the Meitei extremist organisations. There is nothing on record which detracts from the credibility of the material placed on record by the State of Manipur and the Central Government.

In view of the material produced before this Tribunal by the State of Manipur and the Central Government, this Tribunal finds that there was sufficient cause for declaring the Meitei Extremist Organisations of Manipur as unlawful associations under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967. Therefore, the notification S.O. 1124(E) dated November 13, 2001 was rightly issued by the Government of India.

Sd/-

(ANIL DEV SINGH)
UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) TRIBUNAL.
NEW DELHI.

MAY 10, 2002.

[No. 8/22/2001-N.E.-I]
SURENDRA KUMAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.